FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती सुशीला w/o मुकेश बनाम मुकेश पालड़िया पुत्र चौथूलाल

चन्द्र पुत्री श्री चौथूलाल व अन्य

किस्म मुकदमा व अन्य नम्बर 93 सन् 2019 (अजमेर)

राज. प्रा. पत्र

19/00093

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री लेखु मंघानी एड श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
13.3.19	यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री लेखु मंघानी एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.09.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया । प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया, प्रार्थनापत्र की प्रति अभिभाषक महेन्द्रसिंह चौहान को दी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि. पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अलवोकन किया गया। बाद मनन न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा बाजदायरी प्रा.पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तत्पश्चात बाजदायरी प्रा.पत्र पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रार्थना पत्र को इस शर्त पर स्वीकार करना उचित समझते है कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की तलबी हेतु सही पते के नोटिस पेश करें तथा तामिल पूर्ण होने पर अपील में आवश्यक रूप से बहस करें । **अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.09.2018 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	